न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 143/2017

1. सरलादेवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
2. अमनदीप पुत्र सुरेन्द्रकुमार
3. रमनदीप पुत्र सुरेन्द्रकुमार

} अकवाम बिश्नोई निवासी 1 एम एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 02.06.2017

उपस्थितः—

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह सिद्ध राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 88 का पेश कर चक 1 एम.एल. के मु.न. 34 के कि.नं. 2 से 4, 7 से 9 , 11 से 14 की 1.923 है0 अर्थात 7.12 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। प्रतिवादी स्टेट ने जबाव दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा 5 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 02.06.2017 को अधी.न्यायालय ने वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 1.612 है0 भूमि का ब.हि.ब. खातेदार

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

घोषित किया गया। शेष भूमि को खातेदारी नहीं दिये जाने की सीमा तक अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरेते हुए कथन किया कि वादीगण/ अपीलार्थीगण ने अधी.न्यायालय में 7.12 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु वाद पेश किया था एवं वादीगण ने अपने वाद को साबित किया था किन्तु अधी. न्यायालय ने 1.612 है0 भूमि की खातेदारी घोषित कर दी एवं शेष भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया। अतः निवेदन है कि शेष भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपालीर्थीगण ने यह अपील आदेश दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध दिनांक 15.12.17 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पों. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने से अपील अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जबकि वाद पत्र पूर्ण स्वीकार योग्य होने से अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया।

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश एक ही सम्पति के दो हिस्सों के दो अलग–अलग दावों में दो अलग–अलग पीठासीन अधिकारियों द्वारा दो अलग–अलग निर्णयों को एक ही प्रकृति एवं एक रूपता के रूप में करने से सम्बन्धित है यथा एक ही अनुतोष के रूप में अधी.न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 213/2012 निर्णय दिनांक 02.06.2017 व प्रकरण संख्या 154/05 का निर्णय दिनांक 20.06.2006 है।

विवाद का सार बिन्दु है कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 एल.एम. के मु. नं. 34 की 3.224 है0 भूमि बगड़ावतराम के नाम की थी तथा इसी आराजी के साथ 1.044 है0 कृषि भूमि जवाना पुत्र मुतनाजा के नाम थी जो लाऔलाद फोत होना जाहिर किया है जिस पर भी अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा रहा जाहिर किया, विवादित बगड़ावतराम की आराजी उसकी वसीयत अनुसार दोनों पुत्रो भजनलाल व मनीराम में devolve होकर 12.15 बीघा (3.224 है0) वसीयत अनुसार 6 बीघा 7–1/2 बिस्वा भजनलाल के नाम व 6 बीघा 7–1/2 बिस्वा भूमि मनीराम के नाम दर्ज हुई जो आगे भजनलाल के वारिसान सुभाष चन्द व हनुमान के नाम तथा मनीराम के वारिस सुरेन्द्र कुमार के नाम devolve होने तक काई विवाद नहीं रहा परन्तु भजनलाल के वारिसान सुभाष चन्द व हनुमान द्वारा एक वाद संख्या 154/2005 अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर भजनलाल के हिस्से की 6 बीघा 7–1/2 बिस्वा (1.612 है0) बहैसियत भजनलाल के वारिस के साथ साथ जवानाराम की 1.044 है0 में भी आधे हिस्से 0.522 है0 का घोषणात्मक दावा पेश किया जो निर्णय दिनांक 20.06.2006 को दावा डिक्री किया गया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है।

भजनलाल के वारिसान सुभाष चन्द व हनुमान के दावा संख्या 154/2005 की ही तर्ज पर सुरेन्द्र कुमार के वारिसान सरलादेवी, अमनदीप, रमनदीप ने दावा संख्या 213/12 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दायर कर सुरेन्द्र कुमार की 6 बीघा 7–1/2 बिस्वा भूमि बहैसियत सुरेन्द्र कुमार के हिस्से की भूमि के साथ–साथ जवानाराम की 1.044 है0 में आधे हिस्से

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

0.522 है0 का घोषणात्मक दावा पेश किया जो निर्णय दिनांक 02.06.2017 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर सुरेन्द कुमार के हिस्से की 6 बीघा 7–1/2 बिस्वा (1.612 है0) भूमि के तो खातेदार घोषित किया परन्तु जो भजनलाल के वारिसान को जवानाराम की आधी भूमि 0.522 है0 का अनुतोष दिया गया था उसी तर्ज एवं प्रकृति के सुरेन्द्रकुमार के वारिसान को नहीं दिया गया तथा निर्णय में इस 0.522 है0 बाबत कोई Specific आदेश नहीं दिया गया। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय Speaking order नहीं है तथा एक ही सम्पति के एक ही प्रकृति के दो Litigation में दो निर्णय भी उचित नहीं है। अतः दोनों निर्णयों के विभेद को खत्म करने के लिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। चूंकि जवाना पुत्र मुतनाजा की कुल आराजी 1.044 है0 में से आधी 0.522 है0 जरिये दावा डिक्री भगवानाराम के वारिसान के नाम से दर्ज हो चुकी है शेष 0.522 है0 भूमि वर्तमान में जवाना के नाम दर्ज है जबकि जवाना लाऔलाद फोत होना विवेचित होकर आधी भूमि भगवानाराम के वारिसान के नाम दर्ज होकर दर्ज रेकार्ड राज है उसी अनुरूप आधी भूमि 0.522है0 भूमि सुरेन्द्र कुमार के वारिसान के नाम दर्ज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.06.2017 में आंशिक के बजाय पूर्ण स्वीकार प्रतिस्थापित किया जाता है तथा घोषित 1.612 है0 में 0.522 है0 भूमि जोड़ी जाकर घोषणा की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर